318 —

संख्या- 43 /XXXVI(1)/2016–43 एक(1)/2003 टी0सी0–1

प्रेषक,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः28 जनवरी, 2016

विषय– मा0 सर्वोच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में क्रमशः एस.एल.पी. /वादों के दायर किये जाने हेतु विविध व्यय की धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–216(एक)/न्याय विभाग/2003 दिनांक 17.10.2003 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण में सिविल एवं टैक्स के मामलों में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करने में निहित विविध व्यय की वृद्धि को देखते हुए पूर्व में निर्धारित विविध व्यय की फीस दरों में निम्नानुसार वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

क्र0 सं0	**मद**	**पूर्व में अनुमन्य धनराशि**	**वर्तमान में अनुमन्य धनराशि**
1	टाइपिंग चार्ज कम्पयूटर से प्रति पेज	15/–	₹ 20/–
2	ट्रान्सलेशन चार्ज प्रति पेज	40/–	₹ 60/–
3	स्टेनोग्राफर चार्ज प्रति पेज	20/–	₹ 30/–
4	फोटेस्टेट व्यय प्रति पेज	01/–	₹ 01/–
5	बाइन्डिग व्यय प्रति पेपर बुक	10/–	₹ 30/–
6	एस.एल.पी में कोर्ट फीस प्रति केस	350/–	वास्तविक व्यय
7	सी.ए. में कोर्ट फीस प्रति केस	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय
8	प्रकीर्ण व्यय प्रति केस	₹ 250/– अथवा वास्तविक व्यय	अधिकतम ₹ 500/– तथा ₹ 500/– से अधिक की धनराशि होने की स्थिति में वास्तविक व्यय मय बिल के साथ देय होगा तथा ऐसी स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से प्राप्त की जायेगी।

2– शासनादेश दिनांक 17.08.2003 की अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

C:\Users\lenovo\Documents\Bhagwan yr 2016\fess of Govt. Advocates\fess G.O.1.doc